ARYABHATTA KNOWLEDGE UNIVERSITY

Chanakya National Law University Campus, Near Bus Stand, Mithapur, Patna - 800 001

E-mail:- akuniv10@gmail.com

पत्रांकः–002/Registrar/001/AKU/2013 - दिनांकः–12.12.2017

अधिसूचना

विश्वविद्यालय के परिनियम के अध्याय 1 की धारा 6 (g) में विहित प्रावधान के अंतर्गत कुलसचिव का पद रिक्त या बिमारी अथवा अन्य कारणों से कुलसचिव द्वारा अपने कार्यों को प्रभावी ढ़ंग से संपादित नहीं किये जा पाने की स्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा किसी अन्य पदाधिकारी को कुलसचिव के कार्य करने हेतु प्रभार दिया जा सकता है।

यह पाया गया है कि डॉ० अजय प्रताप, महाविद्यालय निरीक्षक जो कुलसचिव के अतिरिक्त प्रभार में हैं, द्वारा उनके मूल पद के लिए वर्णित कार्यों में समय नहीं दे पाने के कारण संबद्धता संबंधित न्यायालीय मामलों में विश्वविद्यालय को हार का सामना करना पड़ रहा है। इससे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यहित में महाविद्यालय निरीक्षक डॉ० अजय प्रताप को कुलसचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है।

विश्वविद्यालय के परिनियम के अध्याय 1 की धारा 6 (g) में विहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से ई० राजीव रंजन, परीक्षा नियंत्रक, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को कार्यकारी कुलसचिव का अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है।

कुलपति के आदेशानुसार

ह०/–

उपकुलसचिव

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांकः–002/Registrar/001/AKU/2013 - 5242 दिनांकः–12.12.2017

प्रतिलिपिः–

1. ई० राजीव रंजन, परीक्षा नियंत्रक, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित,
2. डॉ० अजय प्रताप, महाविद्यालय निरीक्षक, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. कुलपति के निजी सहायक, प्रतिकुलपति कार्यालय, कुलसचिव कार्यालय एवं केन्द्राध्यक्ष, ए.सी.एन.एन, सभी शिक्षकों, पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री विशाल रत्न, वेब प्रोग्रामर को विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Km. Anjana 12.12.2017

उपकुलसचिव

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना